संख्या-34/2024/250/2024-23-10099(099)/8/2023

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी, 2024

विषय:- **राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद आगरा के जगनेर ब्लॉक में किवाड नदी पर सेन्टर बरिगवां बुजुर्ग से नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग हेतु निर्गत स्वीकृति के निरस्तीकरण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1707/प्रा0आगणन-आगरा/जगनेर ब्लॉक/सेतु-6/23-24, दिनांक 01.11.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-64/2023/89/001-23-10-22-02सेतु /2023 दिनांक 28.02.2023 के माध्यम से राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद आगरा के जगनेर ब्लॉक में किवाड नदी पर सेन्टर बरिगवां बुजुर्ग से नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग की निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के निरस्तीकरण का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में सम्यकविचारोपरान्त मुझे कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-64/2023/89/001-23-10-22-02सेतु/2023 दिनांक 28.02.2023 के माध्यम से राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद आगरा के जगनेर ब्लॉक में किवाड नदी पर सेन्टर बरिगवां बुजुर्ग से नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग की निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के निरस्तीकरण की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

संख्या-34/2024/250(1)/2024-23-10099(099)/8/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी ।
4- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- संबंधित कोषाधिकारी ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।